पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु रखी गयी थी, जो पेश हुई । प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने से जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 46/2017 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9..2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया है।

उपस्थित अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई कर एवं संबंधित कानूनी बिन्दुओं पर विवेचन कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु रीमाण्ड किया गया है, जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे किसी प्रकार का स्थगन दिया उचित नही होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को दोनो पक्षों की सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया है न कि किसी एक पक्षकार के पक्ष मे सीधे ही आदेश दिया गया है। ऐसी स्थति मे प्रकरण मे किसी प्रकार स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर नम्बर से कम हो।